



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002

दूरभाष :- 0771-2512111, 2512121, फ़ैक्स :- 0771-2512122

website: www.cghb.gov.in

Date-14/03/2018

General Instruction for Planning & Bid Submission

संदर्भ :- प्रादेशिक समाचार पत्र नवभारत, रायपुर का विज्ञापन दिनांक 09/03/2018, एवं संशोधन सूचना प्रकाशन दिनांक 10/03/2018.

विषय:- मंडल में प्रस्तावित निम्न योजनाओं 1) अटल विहार योजना संजयनगर जिला सूरजपुर (द्वितीय आमंत्रण) एवं 2) अटल विहार योजना जगदीशपुर जिला अंबिकापुर के वास्तुविदीय एवं इंजीनियरिंग कार्य हेतु मंडल में पंजीबद्ध वास्तुविद/फर्म/कंपनियों से ई.ओ.आई-2015 के आधार पर बिड जिसमें तीन लिफाफें 1) तकनीकी ऑफर (Concept-Drng) 2) वित्तीय ऑफर 3) प्रोसेस फीस एवं ई.एम.डी राशि का डीडी आमंत्रित किये जाते हैं।

कं.	योजना का नाम	भूमि रकबा लगभग	योजना की अनुमानित निर्माण लागत	बिड में भाग लेने वाले वास्तुविद/फर्म/कम्पनी मण्डल में पंजीबद्ध (for Architecture. & Engineering Services.)	विज्ञापन क्रम प्रस्तावित
1.	अटल विहार योजना संजयनगर जिला-सूरजपुर।	47.38 एकड़	70.0 करोड़	"ए" श्रेणी	2 nd call
2.	अटल विहार योजना जगदीशपुर, जिला अंबिकापुर।	15.0 एकड़	35.0 करोड़	"ए" श्रेणी	1 st call

1. समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति (नवभारत रायपुर, दिनांक 09/03/2018 एवं दिनांक 10/03/2018) तथा मंडल के वेबसाइट में अपलोडेड विज्ञापन।
2. बिड जमा करने की दिनांक 06/04/2018 समय शाम 5.00 बजे तक। बिड व्यक्तिगत/स्पीडपोस्ट/कोरियर द्वारा, स्थान आयुक्त कार्यालय, मुख्यालय, पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नया रायपुर में जमा किया जावे।
3. बिड 03 बंद लिफाफों में 1) तकनीकी ऑफर, 2) वित्तीय ऑफर एवं 3) बिड सिक्यूरिटी राशि रु. 50,000.00 (रुपये पचास हजार) तथा प्रोसेस फीस राशि रु. 5,000.00 (रुपये पांच हजार) का डीडी प्रत्येक योजना के लिए पृथक पृथक जमा करें। तीनों लिफाफें एक बड़े लिफाफें में बंद कर जमा करें।
4. तीनों लिफाफों के ऊपर योजना का नाम एवं बिडर का नाम लिखा होना चाहिए।
5. योजनाओं के लिए प्रोसेस फीस एवं बिड सिक्यूरिटी राशि (उपरोक्तानुसार) की डीडी जो कि Commissioner, C.G.H.B. Raipur के नाम पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य हैं अन्यथा बिड निरस्त मानी जायेगी।
6. बिड सिक्यूरिटी राशि को योजनाओं के लिए चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद चयनित कंसलटेन्ट का डी.डी. मण्डल में जमा रहेगा व इसे फाईनल बिल भुगतान के

- समय समायोजित किया जायेगा व बिड में भाग लिए अन्य कंसलटेन्टों का डी.डी. इनके द्वारा मांग की जाने पर चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद वापस किया जायेगा।
7. जमा करने की तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त ऑफर (बिड) स्वीकार नहीं किये जावेंगे। यदि बिड जमा करने की निर्धारित दिनांक या बिड खोलने की दिनांक के दिन में शासन द्वारा अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो बिड जमा करने की दिनांक/बिड खोलने की दिनांक आगामी कार्य दिवस होगा।
 8. तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 07/04/2018 समय दोपहर 3:00 बजे से स्थान मुख्यालय, पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नया रायपुर। इस बिड ओपनिंग के समय बिड में भाग लेने के लिए वास्तुविद/फर्म/कंपनी स्वयं या उनके प्रतिनिधि आमंत्रित है।
 9. बिड ओपनिंग में पहले लिफाफा नं. 3 (प्रोसेस फीस एवं ई.एम.डी राशि) खोला जावेगा। लिफाफा 3 सही होने पर ही लिफाफा 2 (तकनीकी ऑफर) खोला जावेगा।
 10. तकनीकी बिड खोलने के कुछ दिन पश्चात मुख्यालय में प्रेजेन्टेशन होगा जिसके लिए पृथक से तिथि निर्धारित कर सूचित किया जायेगा।
 11. प्रेजेन्टेशन पश्चात T1, T2 & T3 का चयन की सूची पृथक से बाद में मंडल की वेबसाइट पर जारी की जावेगी।
 12. T1, T2, & T3 चयनित वास्तुविद/फर्म/कंपनियों का वित्तीय ऑफर (लिफाफा नं. 2) बाद में खोला जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी।
 13. वित्तीय ऑफर, ई.ओ.आई. 2015 के बिन्दु कमांक-7.5 के आधार पर निम्न तालिका फार्मेट अनुसार तैयार बंद लिफाफे में रखें।
 14. Formet of Financial Offer

<u>Financial Offer</u>	
Sub:-	Name of Project-----
Ref:-	EOI Advt.- dt. 09/03/2018 & 10/03/2018 Navbharat Raipur & Uploaded Instruction on 14/03/2018 in CGHB website.
	For Above project my/our firm financial offer is -----% below overall fees of the project as per rate of point no. 7.5 of EOI - 2015 (for architectural & engineering services) as per term & conditions of EOI - 2015 document.
	Signatur of Arch./firm/co.

15. Financial Offer उपरोक्त Format अनुसार ही जमा करें, यदि T1, T2 & T3 का वित्तीय ऑफर सूचना अनुसार दिनांक पर खोलते समय किसी वास्तुविद/फर्म का वित्तीय ऑफर Format अनुसार नहीं पाया जाता है तो उस वास्तुविद/फर्म का Financial Bid निरस्त माना जायेगा।
16. योजनाओं से संबंधित अन्य जानकारी हेतु कार्यपालन अभियंता संभाग अंबिकापुर से 094242-09109 एवं मंडल मुख्यालय के वास्तुविद से मो. न. 094242-09010 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

17. योजनाओं के लिए निम्न तालिका के अनुसार भवनों की कॉन्सेप्ट ड्राइंग एवं लेआउट प्लान तैयार करें।

1. अटल विहार योजना संजयनगर, जिला सूरजपुर। (land area- 47.38 acrs, Project cost - Rs. 70.0crs)

Sn	Type of house		Plot Size (tentative)	Built up Area Range Appr.	Carpet Area (Max.)	Remark
	Independent		In sqm	In sqm	In sqm	
1.	HIG	Semi Detached	12x18 m	100-105		3 BHK (Single story)
2.	MIG Sr	Semi Detached	10.5x15 m	85-90		2 BHK (Single story)
3.	MIG Jr	Semi Detached	9.5x15 m	70-75		2 BHK (Single story)
4.	LIG	Semi Detached	6.5x13 m	50-55		1 BHK (Single story)
5.	EWS	Row type	5x10 m		30.0 Sqm	1 BHK (Single story)

2. अटल विहार योजना जगदीशपुर, जिला अंबिकापुर। (land area- 15.0 acrs, Project cost - Rs. 35.0crs)

Sn	Type of house		Plot Size (tentative)	Built up Area Range Appr.	Carpet Area (Max.)	Remark
	Independent		In sqm	In sqm	In sqm	
1.	MIG Jr	Semi Detached	9.5x15 m	70-75		2 BHK (Single story)
2.	LIG	Semi Detached	6.5x13 m	50-55		1 BHK (Single story)
3.	EWS	Row type	5x10 m		30.0 Sqm	1 BHK (Single story)

18. बिल्डिंग प्लान ड्राइंग में साइज मीटर एवं फीट में दशाये।

19. योजनाओं में वास्तु विज्ञान का ज्यादा उपयोग करते हुये होना चाहिए। T&CP नगर निगम एवं केन्द्र व शासन के अन्य संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर होने चाहिए। एवं पर्यावरण अनुकूल ग्रीन कॉन्सेप्ट, वाटर हार्वेस्टिंग आदि का समावेश किया जाना चाहिए।

20. योजनाओं के लिए प्लानिंग तैयार करने के पूर्व भूमि का निरीक्षण किया जा सकता है। इस हेतु कार्यपालन अभियंता संभाग-अंबिकापुर से मोबाइल नम्बर 094242-09109 पर संपर्क किया जा सकता है।

21. विज्ञापित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले बिड स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
(Postal delay will not be considered)

22. योजनाओं के लिए मण्डल को उपलब्ध भूमि में ही योजना तैयार की जावेगी एवं उसके अनुसार ही वास्तुविद्/फर्म/कंपनियों को भुगतान किया जावेगा। इस बाबत अन्य नियम, शर्तें ई.ओ.आई. 2015 में दिए गये अनुसार ही होगा।

23. योजनाओं के लिए एवार्ड ऑफ वर्क ई.ओ.आई. 2015 के 7.4 बिन्दु के विधि अनुसार वास्तुविद/फर्म/कंपनी का चयन किया जायेगा।
24. फाईनल चयनित वास्तुविद/फर्म/कंपनी को मण्डल की ई.ओ.आई. 2015 के व अन्य शर्तें, नियम, स्कोप ऑफ वर्क मोड़ ऑफ पेमेंट के अनुसार कार्य करना होगा।
25. योजनाओं के MIG, LIG भवनों में एवं संपूर्ण लेआउट के कम्पाउंड वॉल एवं मेन गेट, सेक्यूरिटी रूम के साथ प्रावधान रखा जावे।



1/13/18

वास्तुविद

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नया रायपुर